Home Science
Explore–Journal of Research
ISSN 2278 – 0297 (Print)
ISSN 2278 – 6414 (Online)
© Patna Women's College, Patna, India
http://www.patnawomenscollege.in/journal

पटना शहर में कॉलेज जाने वाली युवतियों (18 से 24 वर्ष) की सुरक्षा की समस्याएँः– एक अध्ययन

• शुभांगी सरोज • निक्की कुमारी • सोनी कुमारी
• सुनीति भगत

Received : November 2019
Accepted : March 2020
Corresponding Author : Suniti Bhagat

Abstract : *दुनिया बुहत तेजी से बदल रही है और बदलाव हर दिशा में हो रहा है । सभी युवतियाँ घर की चार दीवारी से निकलकर शिक्षा की दुनिया में शामिल हो रही है। बदलती हुई समाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा के अवसर मिलने लगे है । इन सब के बावजूद भी घर से बाहर जाते समय उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो उनके लिए असहनीय होती जा रही है। ये कठिनाइयाँ उनकी सुरक्षा से सबंधित है जो उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी चिंतनीय होती जा रही है। प्रस्तुत शोध का मुरव्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि युवतियाँ अपनी सुरक्षा हेतु क्या प्रयास कर रही हैं, तथा उनके परिवार के सदस्यों का और जिन संस्थाओं से वे जुड़ी हुई है उन संस्थाओं का उनके सुरक्षा के प्रति क्या योगदान है इस अध्ययन के लिए पटना क्षेत्र के चार कॉलेजों से 100 युवतियों को चुना गया है। प्राप्त परिणाम के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि 98 प्रतिशत युवतियाँ सुरक्षा हेतु समस्या का सामना कर रही है। शोध में यह भी पाया गया है कि 94 प्रतिशत युवतियाँ अपनी सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है। 85 प्रतिशत परिवार के सदस्यों का तथा 56 प्रतिशत संस्थाओं कर उनके सुरक्षा के प्रति कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि युवतियों की सुरक्षा संदेहात्मक स्थिति में पड़ती दिख रही है। युवतियों की सुरक्षा हेतु समस्या के संदर्भ में जरूरत इस बात की है कि युवतियों के परिवार के सदस्यों को ,संगठनों को तथा स्वंय युवतियों को समस्याओं के निवारण हेतु कदम उठाना चाहिए।*

संकेत–शब्द : *युवतियाँ, सुरक्षा, परिवार के सदस्य, संस्थाएँ, हेल्पलाइन नम्बर।*

शुभांगी सरोज
M.A. Final Year, Home Science, Session: 2018-2020,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

निक्की कुमारी
M.A. Final Year, Home Science, Session: 2018-2020,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

सोनी कुमारी
M.A. Final Year, Home Science, Session: 2018-2020,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Suniti Bhagat
Assistant Professor, Department of Home Science,
Patna Women's College, Bailey Road,
Patna–800 001, Bihar, India
E-mail : sunitibhagat@gmail.com

परिचयः

महिलाएँ हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं (लगभग 48 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) तथा विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के युग में राष्ट्रपति भवन से ले कर जिला स्तर ही नहीं बल्कि पंचायत स्तर तक वे अपना स्थान बना चुकी हैं। इस तर्क को कतई नहीं नकारा जा सकता कि आधुनिक युग में महिलाएँ कार्य क्षेत्रों में पुरूषों की बराबरी कर रही हैं।

इन सब के बावजूद भी घर से बाहर जाते समय उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये

कठिनाइयाँ उनकी सुरक्षा से संबंधित हैं, जो उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी चिंतनीय तथा असहनीय होता जा रहा है। हम यह तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिला पूर्णतः सुरक्षित हैं ।

युवतियों हेतु सुरक्षा संबंधित समस्याएँः

एन.एफ.एच.एस. 4 (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2017) के आंकड़े बताते हैं कि देश में युवतियों की संख्या 10 प्रतिशत है। हालांकि सुरक्षा की समस्या का सामना हर वर्ग की तथा हर उम्र की युवतियाँ एवं महिलाएँ कर रही हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने वाली युवतियाँ इन समस्याओं से ज्यादा जूझती हुई नजर आती हैं।

यह उम्र के उस पड़ाव में होती है जहाँ उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। विशेष रूप से शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यक्तिगत आवश्यकताएँ, मनोरंजन इत्यादि के लिए। ऐसी स्थिति में लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। इस आयु में उनके बाहर जाने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की हो जाती है। उन परिस्थितियों में कई बार लोग गलत फायदा उठाकर उनके लिए परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं।

बिहार में महिलाओं के सुरक्षा हेतु समस्याओं का प्रचलनः टाइम्स ऑफ इंडिया (21 जून, 2017) के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में पिछले सात वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य पुलिस मुख्यालय के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 12,783 मामले दर्ज है जबकि वर्ष 2010 में दर्ज किये गए मामले थे, 6,790।

इन आंकड़ों के अनुसार रेखांकित किया गया है कि राज्य में महिलाएँ असुरक्षित हो गई है। 2010 में राज्य में 795 बलात्कार की घटनाएँ दर्ज की गई और 2016 में यह संख्या बढ़कर 1,007 हो गई है। इसके अनुसार संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सात वर्षों में राज्य में अपहरण, छेड़छाड़, अत्याचार की घटनाएँ भी दोगुनी हो गई हैं। 2010 में अपहरण के 2,552 मामले दर्ज किए गए और 2016 में यह आँकड़ा बढ़कर 5,595 हो गया। जहाँ तक छेड़छाड़ का सवाल है, तो 2010 में 104 के मुकाबले 2016 में 342 ऐसे मामले सामने आए।

अध्ययन की समस्या:-

युवतियों को बाहर निकलने पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उनके साथ निम्नलिखित समस्याएँ होती हैंः–

- बाहर निकलने पर छींटाकशी सुनना।
- असहनीय शब्दों को सुनना।
- गलत इशारों का सामना करना।
- भीड़–भाड़ वाले स्थान पर जान–बूझकर शरीर का स्पर्ष करना।
- उन्हें अकेले में बुलाकर गलत फायदा उठाना।
- पीछा करना।

प्रभाव :

इन सारी समस्याओं से युवतियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जैसे घबराहट होना, तनाव में रहना, गुमसुम रहना, काम/पढ़ाई में मन ना लगना, आत्मविश्वास कम होना, खुलकर बात ना करना, अकेले में रोना, चिल्लाना, चिड़चिड़ा हो जाना, अपनों से दूरी बनाकर रखना, संवेदनशील हो जाना, अपने आपको कमजोर समझना और अकेला महसूस करना। सुनने में तो यह समस्याएँ बहुत छोटी लगती है परंतु ये बहुत ही गंभीर हैं। इसलिए इनके प्रति कदम उठाना अतिआवश्यक है।

अध्ययन की आवश्यकताः–

इस शोध के माध्यम से पता लगाना है कि युवतियाँ सुरक्षा के प्रति किन–किन समस्याओं से गुजर रही हैं और वे इन समस्याओं से बचने हेतु क्या कदम उठा रही हैं।

इस अध्ययन के द्वारा यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि परिवार के सदस्य युवतियों की सुरक्षा में क्या भूमिका निभा रहे हैं?

युवतियाँ जिन संगठनों से जुड़ी हुई है उन संगठनों के द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास (सुविधा) किए जा रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है कि सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनका सही अर्थों में सक्रियतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

अध्ययन के क्रम में युवतियों की सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी समाधान मिल सके इसे जानने का प्रयास किया जाएगा।

उद्देश्यः–

1. यह पता लगाना कि युवतियाँ अपनी सुरक्षा हेतु क्या प्रयास कर रही हैं।
2. युवतियाँ सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नंबर के प्रति कितनी जागरूक हैं।

3. युवतियों की सुरक्षा के प्रति परिवार के योगदान की भूमिका का पता लगाना।
4. वे जिन संस्थानों से जुड़ी हुई हैं वे संस्थाएँ उनकी सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसका पता लगाना।

परिकल्पना:–

1. युवतियाँ अपनी सुरक्षा के प्रति कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही हैं।
2. युवतियाँ सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नंबर के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हैं।
3. युवतियों की सुरक्षा के प्रति उनके परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है।
4. वे जिन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं वे संस्थाएं उनके सुरक्षा के प्रति गंभीर कदम नहीं उठा रही हैं।

साहित्य समीक्षा:–

सुधा रानी श्रीवास्तव et. al. (2010) के अनुसार 40 वर्ष बाद भी महिलाएँ स्वतंत्र भारत में भारत के संविधान की छत्रछाया में अपने को असुरक्षित समझ रही है। अधिकांश महिलाएँ शिक्षा के अभाव में यह समझ ही नहीं पाती कि उनके प्रति अपराध हो रहे हैं। माता–पिता या पति ही महिला को उपभोग के लिए बेच देते हैं। न तो उसके पास अपनी स्वयं की आवाज है और ना उसका साथ देने वाला ही कोई है। उसके रक्षक ही उसे भक्षक है। कभी यदि वह पुलिस थाना अपराध की सुचना देने जाती भी है तो वहां भी उसे कुत्सित दृष्टि से ही देखा जाता है।

रमा शर्मा et. al. (2010) के अनुसार आज के समाज में युवतियाँ होना एक सजा है उसका स्थान या तो देवालयों में निश्चित कर दिया गया है या उसे शोषित, पीड़ित, दोयम दर्जे की उपयोग की वस्तु ही माना गया है, और युवतियों की यह हालत सिर्फ भारत जैसे देशों में या किसी धर्म विशेष में ही नहीं बल्कि अति आधुनिकता का दम भरने वाले अमेरिका, युरोप जैसे पूँजीवादी मुल्कों में भी है। 1995 की एक रिपोर्ट का आँकड़ा के अनुसार उस साल (अमेरिका में) डेढ़ लाख से भी ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए।

अत: यह आवश्यक है कि महिलाएँ इन अपराधों को गहराई से समझे, उनके आँकड़ों को जाने और फिर इसके खिलाफ लामबंद हो सकें।

अध्ययन की प्रणाली:–

अध्ययन का क्षेत्र– इस अध्ययन में पटना क्षेत्र के निम्नलिखित कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों से जानकारी प्राप्त की गई है–

1. पटना वीमेंस कॉलेज
2. मगध महिला कॉलेज
3. पटना कॉलेज
4. ए.एन. कॉलेज

प्रतिदर्श आकार– पटना के 4 निम्नलिखित क्षेत्रों से 100 युवतियाँ जिनकी आयु 18–24 वर्ष है, चुनी गई है।

1. पटना वीमेंस कॉलेज
2. मगध महिला कॉलेज
3. पटना कॉलेज
4. ए.एन. कॉलेज

शोध उपकरण–विशिष्ट जानकारी के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा साथ ही अवलोकन भी किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण– आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए संग्रह किए गए सुरक्षा संबंधित सूचनाओं को वर्गीकृत किया गया है।

1. युवतियों की भूमिका
2. परिवार की भूमिका
3. संगठनों की भूमिका

सांख्यिकीय विश्लेषण–आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण वर्गीकरण और बारंबारता वितरण पद्धति द्वारा किया जाएगा तथा परिणाम प्रदर्शन के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

परिणाम एवं परिचर्चा :

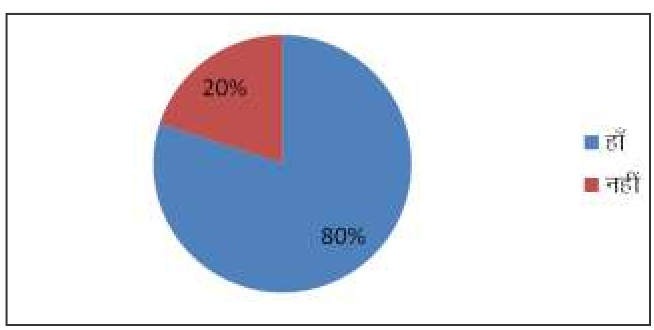

चित्र संख्या–1 युवतियों की कॉलेज आने–जाने में सुरक्षा संबंधी समस्या (संख्या–100) (स्रोत:–सर्वेक्षण के आधार पर)

ऊपर दिए गए सारणी में दर्षाया गया है कि अधिकांष उत्तरदाताओं को कॉलेज आने–जाने में सुरक्षा हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर युवतियाँ कॉलेज से बहुत दूर रहती है, और कुछ युवतियाँ पटना से बाहर दूसरे शहरों से भी आती हैं। इन युवतियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना ज्यादातर बसों, ट्रेनों, ऑटो तथा सूनसान रास्तों में करना पड़ता है।

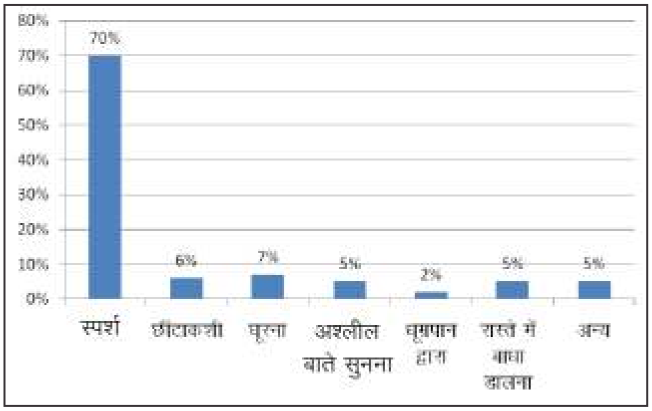

चित्र संख्या–2 सुरक्षा हेतु समस्याओं के प्रकार (संख्या–100) (स्रोतः सर्वेक्षण के आधार पर)

दिए गए सारणी से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अधिकांश (70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को समस्या उनके साथ गलत तरीके से स्पर्श के द्वारा होती है, इन समस्याओं का सामना उन्हें बसों, ट्रेनों, ऑटों और भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर करना पड़ता है।

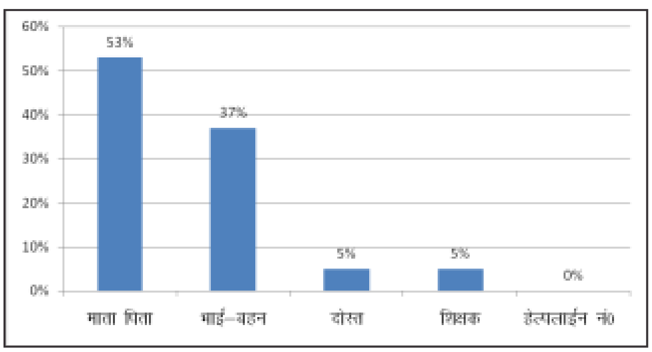

चित्र संख्या–3 सुरक्षा हेतु स्थिति में फोन नम्बर का उपयोग

(संख्या–100) (स्रोतः सर्वेक्षण के आधार पर)

उपर्युक्त सारणी यह दर्शाता है कि अधिकांश युवतियाँ कोई बड़ी समस्या आने पर हेल्पलाइन नम्बर का उपयोग न करके अपने माता–पिता को फोन करती है। इन युवतियों को सरकार द्वारा बनाई गई हेल्पलाइन नम्बरों की कोई जानकारी नहीं है।

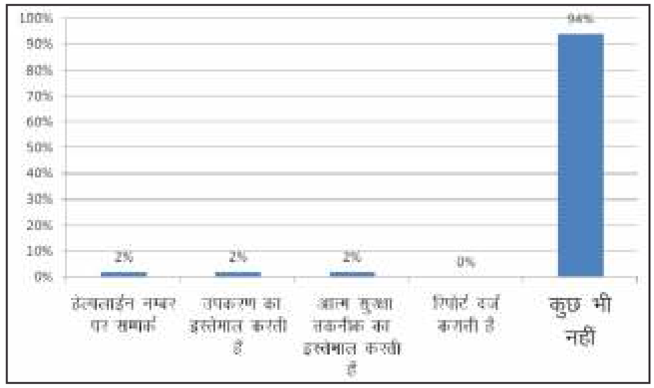

चित्र संख्या– 4 कॉलेज में असुरक्षा हेतु समस्या आने पर कदम

(संख्या–100) (स्रोतः सर्वेक्षण के आधार पर)

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा हेतु समस्या आने पर 94 प्रतिशत युवतियाँ कोई कदम नहीं उठाती जैसे– हेल्प लाइन नम्बर पर सम्पर्क करना, सही उपकरण का इस्तेमाल करना, रिपोर्ट दर्ज कराना आदि। इन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना ''युवतियाँ अपनी सुरक्षा के प्रति कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है'' प्रमाणित हो जाता है।

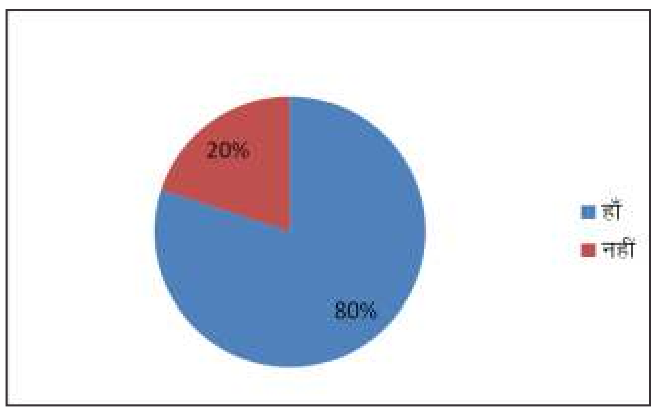

चित्र संख्या–5 सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नम्बरों के प्रति जागरूकता (संख्या–100) (स्रोतः सर्वेक्षण के आधार पर)

सर्वेक्षण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार के द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नम्बरों के प्रति जागरूक नहीं

है, (जैसे हेल्पलाइन नम्बर 1091, 1098, 181 इत्यादि)। पूछने पर यह पता चला कि उन्होंने इन हेल्पलाइन नम्बर के विषय में किसी से पता करने की जरूरत ही नहीं समझी। केवल 20 प्रतिशत युवतियाँ ही हेल्पलाइन नम्बर तथा नियमों के प्रति जागरूक है।

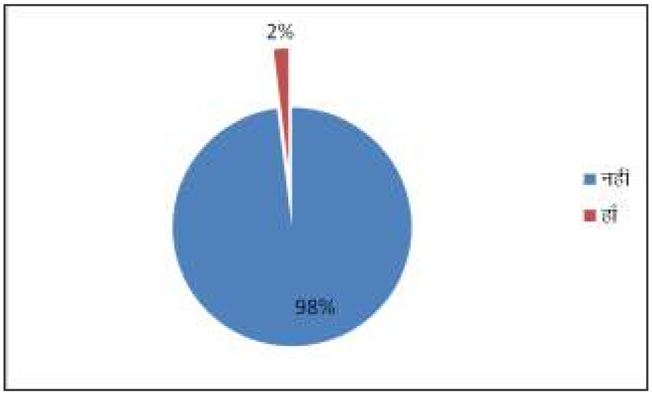

चित्र संख्या–6 सुरक्षा हेतु समस्याओं की शिकायत करने हेतु कार्यालयों की जानकारी (संख्या–100) (स्रोतः सर्वेक्षण के आधार पर)

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास सुरक्षा हेतु समस्याओं की शिकायत करने के लिए कार्यालयों (महिला आयोग, इंदिरा भवन, बेली रोड, महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, छज्जूबाग, पटना) की जानकारी नहीं है। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कभी इनको गंभीरता से लिया ही नहीं। केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें शिकायत करने हेतु कार्यालयों की जानकारी है और समय आने पर उन कार्यालयों से सेवा लेती हैं।

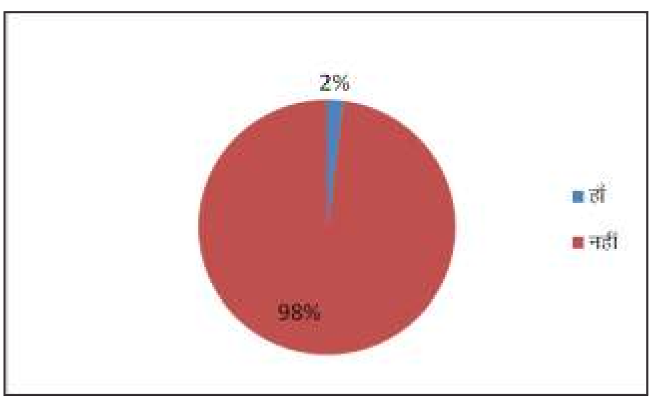

चित्र संख्या–7 सुरक्षा हेतु उपलब्ध सेवा प्रक्रिया से परिचित (संख्या–100) (स्रोत– सर्वेक्षण के आधार पर)

पूछने पर पता चला कि केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता शिकायत दर्ज करने की सेवा की प्रक्रिया से परिचित है। वे आवश्यकतानुसार कार्यालय में जाकर उनकी सेवा भी लेती हैं जबकि 98 प्रतिशत उत्तरदाता उपलब्ध सेवा प्रक्रिया से अपरिचित हैं। कुछ उत्तरदाताओं का कहना है कि वे इस प्रक्रिया से डरती हैं, उनका यह भी मानना है की यह प्रक्रियाएँ बहुत लम्बी होती है तथा उन में बहुत सारी औपचारिकताएँ भी होती है जिनकी वजह से उन्हें और उनके परिवार वालों को परेशानी हो सकती है। अतः इन बातों से घबराकर भी वे प्रक्रिया से परिचित नहीं हुई। इन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना "युवतियाँ सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नम्बर से पूरी तरह जागरूक नहीं है", प्रमाणित हो जाता है।

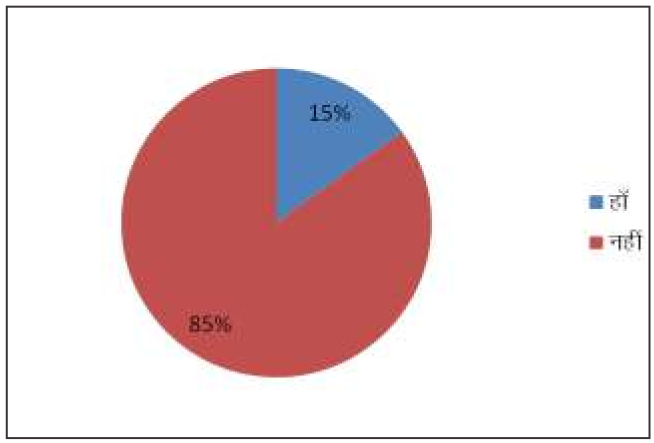

चित्र संख्या–8 परिवार के सदस्य की सुरक्षा के प्रति गंभीरता (संख्या–100) (स्रोत–सर्वेक्षण के आधार पर)

शोध के द्वारा यह पाया गया है कि 85 प्रतिशत परिवार के सदस्य सुरक्षा हेतु समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। जब युवतियाँ अपनी समस्याएँ उन्हें बताती हैं तो वह उन्हें बातों को नजर अंदाज करने की सलाह देते हैं और कई परिवार के सदस्यों का यह भी मानना है कि युवतियाँ स्वंय अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षम हैं।

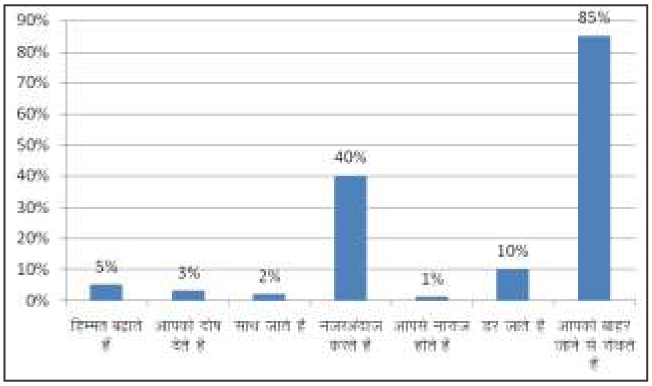

चित्र संख्या–9 परिवार वाले किस प्रकार की मदद करते (संख्या–100)
(स्रोत– सर्वेक्षण के आधार पर)

दिए गए सारणी से यह जानकारी प्राप्त हुई कि जब परिवार वालों को सुरक्षा हेतु समस्या के बारे में पता चलता है तो अधिकांश (85 प्रतिशत) परिवार के सदस्य उन्हें बाहर जाने से रोकते है। युवतियों के मन में यह डर आ जाता है कि यह बात उनकी शिक्षा का अवरोधक न बन जाए। सारणी से यह भी पता लगा है की 40 प्रतिशत माता–पिता बातों को नजर अंदाज करने की सलाह भी देते हैं। केवल 2 प्रतिशत परिवार के सदस्य साथ जाते हैं तथा हेल्पलाइन नम्बर देते है। इन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना ”युवतियों की सुरक्षा के प्रति उनके परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है”, प्रमाणित हो जाता है।

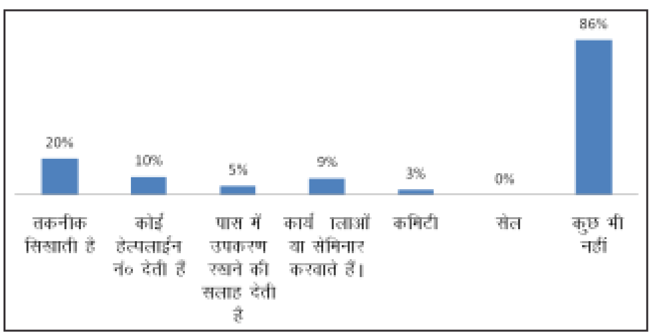

चित्र संख्या–10 संस्था द्वारा समस्या का सामना करने के लिए कदम (संख्या–100)
(स्रोतः सर्वेक्षण के आधार पर)–

युवतियों से यह पता चला है कि वह जिन संस्थाओं (कॉलेज) से जुड़ी हैं वे संस्थाएँ सुरक्षा हेतु समस्या के लिए कोई कदम नहीं उठा रहीं हैं। 9 प्रतिशत युवतियों के अनुसार इन समस्याओं से जुड़ी कार्यशलाओं का आयोजन करवाया गया था और 5 प्रतिशत को उपकरण रखने की सलाह दी गई है। इन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना ”वे जिन संस्थाओं से जुड़ी हैं, वे संस्थाएँ उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर कदम नहीं उठा रही है”, प्रमाणित हो जाता है।

निष्कर्ष:

- अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांष युवतियों को कॉलेज आने–जाने में सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा हेतु समस्या आने पर 94 प्रतिशत युवतियाँ अपनी सुरक्षा के प्रति कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही हैं।
- सर्वेक्षण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 80 प्रतिशत युवतियाँ सरकार के द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नम्बरों के प्रति जागरूक नहीं है।
- शोध के द्वारा यह पाया गया है कि 85 प्रतिशत परिवार के सदस्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है।
- सर्वेक्षण से यह पता चला है कि वह जिन संस्थाओं (कॉलेज) से जुड़ी हैं वे संस्थाएँ सुरक्षा संबंधी समस्या के लिए कोई कदम नहीं उठा रहीं हैं।

सुझाव :

- युवतियों की सुरक्षा के प्रति सर्तकता बरतनी चाहिए।
- युवतियों को सरकारी, गैरसरकारी संगठनों द्वारा बनाए गए सुरक्षा हेतु नियमों तथा हेल्पलाइन नम्बरों के प्रति जागरूक होना चाहिए, और समय आने पर उनका उपयोग करना चाहिए।
- युवतियों को घर से निकलने से पहले अपने बचाव हेतु सही उपकरण जैसे–पेपर–स्प्रे, लाल मिर्च पाउडर, नुकीले औजार अपने पास रखना चाहिए।
- अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें आत्म सुरक्षा तकनीक भी सीख लेनी चाहिए।

- परिवार के सदस्यों को युवतियों के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नम्बरों, संगठनों तथा उनकी प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए तथा उन्हें अपने परिवार की युवतियों को भी उनसे परिचित करवाना चाहिए।
- इस प्रकार की समस्या परिवार के सदस्यों के सामने आने पर युवतियों को दोषी ठहराने एंव डराने के बजाय उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।
- कॉलेज प्रबंधन को युवतियों की सुरक्षा हेतु समस्याओं के लिए कोई विशेष कमिटि बनानी चाहिए।
- समय—समय पर इस विषय में अपने कॉलेज में कार्यशालाओं तथा सेमिनार का आयोजन करना चाहिए।
- कॉलेज में युवतियों की काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ वे अपनी अन्य परेशानियों के साथ सुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी सामने रख सकें।
- संगठनों में आत्म सुरक्षा तकनीक सिखाने की सुविधाएँ होनी चाहिए।

ग्रन्थ—सूची :

कुमार कृष्ण (2012). अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली— पेज नं०—105—106

गोस्वामी, एस. (2003). महिला एवं बाल विकास, पोइन्टर पब्लिषर्स, जयपुर—3022003

शर्मा रमा मिश्रा एम.के. (2010). नारी शोषण आइने और आयाम, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, प्रथम संस्करण, पेज नं०—71—72

शर्मा रमा, मिश्रा, एम.के. (2012). भारतीय समाज में नारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली पेज नं०—166—168

शर्मा रमा, मिश्रा एम.के. (2010). महिलाओं के मौलिक अधिकार अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली—11000234

श्रीवास्तव सुधा रानी (2009). महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली—110002 पेज नं०—98

श्रीवास्तव सुधा रानी, श्रीवास्तव रागिनी (2010). मानव अधिकर और महिला उत्पीड़न, अजय वर्मा कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली—110002, पेज न०—182—183

Dr. Nawal N. Dr. sharma R.k., Domestic violence against women's Regal publication-2013

शर्मा रमा, एम.के.मिश्रा, (2010). नारी शोषण, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस

Aggawal N. (2013). Women and Law in India, New Century Publication, Delhi, India

https://India.unfpa.org.(retrieved on 25-07-2017)

https://m.timesofindia.com/city/Patna/crime(retrieved on 25-07-2017)